मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 मई 2014-वैशाख 19, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स जय माँ महाकाली कम्पनी का गठन दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 को किया गया था. जिसका पंजीयन क्रमांक 02/43/07/00210, दिनांक 25 अक्टूबर, 2011 है. फर्म में वर्तमान भागीदार रणधीरसिंह पुत्र श्री बीरेन्दसिंह, निवासी भारौली रोड भिण्ड (मध्यप्रदेश), महेश सिंह भदौरिया, निवासी ग्राम गढ़पारा हाल गाँधी रोड, मेहगाँव, जिला भिण्ड एवं अनिल कुमार सिंह चौहान पुत्र श्री मुलायम सिंह चौहान, निवासी गढ़पारा हाल भारौली रोड, भिण्ड (मध्यप्रदेश) हैं.

दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से श्री अभिषेकसिंह परमार पुत्र श्री रणधीर सिंह परमार एवं श्री अभिलेख सिंह चौहान पुत्र श्री अनिल कुमार सिंह चौहान, को भागीदार की हैसियत से फर्म में सम्मिलित कर लिया गया है. फर्म में भागीदारों की स्थिति, नियम व शर्तें संशोधित बिल के अनुसार होंगी.

वास्ते—मैसर्स जय माँ महाकाली कम्पनी
रणधीर सिंह
(पार्टनर)
जे. आर. डी. कॉम्पलेक्स, भारौली रोड,
भिण्ड (मध्यप्रदेश).

(40-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. अमृतलाल तिवारी, पंजीयन क्रमांक 05/22/04/00071/08, सन् 2008-09 ग्राम-पोस्ट बक्षेरा, तहसील रायपुर-कर्चुलियान, जिला रीवा (मध्यप्रदेश) मो. 9926531903 का पहला परिवर्तन दिनांक 17 मई, 2011 को हुआ, जिसमें नये भागीदार श्रीमती गायत्री तिवारी पत्नी श्री बसंतलाल तिवारी, अशोक कुमार मिश्रा पिता महादेव मिश्रा, जुड़े तथा दूसरा परिवर्तन दिनांक 17 अप्रैल, 2014 को हुआ. जिसमें श्रीमती किरण तिवारी पत्नी श्री कृष्णानन्द तिवारी, धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा पिता श्री रामबहोर मिश्रा जुड़े एवं फर्म से जुड़े भागीदार अनलपाल सिंह पिता रामगोपाल सिंह, श्रीमती गायत्री तिवारी पत्नी श्री बसन्तलाल तिवारी एवं अशोक कुमार मिश्र पिता महादेव मिश्र को हटाया गया है. जिसको भी आपत्ति हो 10 दिवस के अन्दर फर्म के कार्यालय में सूचित करें.

वास्ते—मे. अमृतलाल तिवारी
अमृतलाल तिवारी
(पार्टनर)
ग्राम-पोस्ट बक्षेरा, तहसील रायपुर-कर्चुलियान,
जिला-रीवा (मध्यप्रदेश).

(41-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स लक्ष्मी इन्जीनियरिंग, जिसका पता-1-एच सेक्टर औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा भोपाल, जो कि फर्म ऑफ रजिस्ट्रार ऑफिस में पंजीकृत है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1514/86-87 है जो दिनांक 25 अक्टूबर, 1986 से एक भागीदारी फर्म है, जिसमें से दिनांक 09 फरवरी, 2014 को भागीदार के रूप में सम्मिलित की गई श्रीमति सुमन गुप्ता जी ने फर्म से अपनी भागीदारी दिनांक 31 मार्च, 2014 से समाप्त कर ली है उनकी जगह पर तीसरे भागीदार के रूप में श्री आनंद गुप्ता पुत्र श्री नीरज गुप्ता जी को दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से उक्त फर्म मेसर्स लक्ष्मी इन्जीनियरिंग में भागीदार के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है. अन्य सभी भागीदार यथावत् हैं.

वास्ते-मेसर्स लक्ष्मी इन्जीनियरिंग
नीरज गुप्ता
(भागीदार)

(42-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स लक्ष्मी इन्जीनियरिंग, जिसका पता-1-एच सेक्टर औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा भोपाल, जो कि फर्म ऑफ रजिस्ट्रार ऑफिस में पंजीकृत है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1514/86-87 है जो दिनांक 25 अक्टूबर, 1986 से एक भागीदारी फर्म है, जिसके भागीदार 1. श्री जी. डी. गुप्ता, 2. श्री नीरज गुप्ता, 3. श्री संजय सोहाने तीन भागीदार हैं जिसमें से प्रथम भागीदार श्री जी. डी. गुप्ता जी का निधन दिनांक 08 फरवरी, 2014 को हो गया था जिसके बाद अब दिनांक 09-02-2014 से स्व. श्री जी. डी. गुप्ता जी कि पत्नि श्रीमती सुमन गुप्ता को उनकी जगह उक्त फर्म मेसर्स लक्ष्मी इन्जीनियरिंग में भागीदार के रूप में सम्मिलित कर लिया है. अन्य सभी भागीदार यथावत् हैं.

वास्ते-मेसर्स लक्ष्मी इन्जीनियरिंग,
नीरज गुप्ता,
(भागीदार)

(42-A-बी.)

NOTICE

U/S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm "M/S SHIVANI ENTERPRISES" of Gwalior vide Reg. No. 02/42/01/00173/14, Dated 13th February, 2014 undergone the following changes :-

1. That Smt. Sangeeta Gupta W/o Shri Raj Kumar Gupta and Smt. Neetu Gupta W/o Shri Sanjay Kumar Gupta has joined the partnership firm w.e.f. 1st April, 2014.

For "M/s Shivani Enterprises"
Ritesh Gupta
(Working Partner).
102, Gayadani Appartment, Maina wali Gali,
474009 Gird (Gwalior) Gwalior (M.P.).

(50-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स विकास एसोसिएट्स, बैढ़न, जिला सिंगरौली (म. प्र.) से दिनांक 12 फरवरी, 2014 से श्री राम सजीवन शाह पुत्र श्री लालमन शाह, बैढ़न, जिला सिंगरौली (म. प्र.) पृथक हो गए हैं. दिनांक 12 फरवरी, 2014 से दो भागीदार श्री रामशिरोमणि शाह पुत्र श्री लालमन शाह और श्री दिलीप कुमार राठौर पुत्र श्री रामशिरोमणि शाह दोनों निवासी बैढ़न, जिला सिंगरौली (म.प्र.) भागीदारी फर्म में यथावत् रहेंगे.

रामशिरोमणि शाह
(भागीदार)
मेसर्स विकास एसोसिएट्स, बैढ़न,
जिला सिंगरौली (म. प्र.)

(52-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, अहमद अबरार सिद्दीकी पिता स्व. अहमद सफीर सिद्दीकी, निवासी टेगौर स्कूल के पास, सीहोर का सर्व-साधारण को सूचित कर रहा हूँ कि मेरा नाम अब अबरार अहमद सिद्दीकी पिता स्व. सफीर अहमद सिद्दीकी हो गया है. मुझे इसी नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :
(अहमद अबरार सिद्दीकी)

नया नाम :
(अबरार अहमद सिद्दीकी)
टेगौर स्कूल के पास, सीहोर (म. प्र.).

(43-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम रजनी गुप्ता, पिता श्री विशन गोपाल गुप्ता था. 1996 में विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती रजनी गर्ग पति श्री राजीव गर्ग हो गया है. विवाह पश्चात से समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय सामाजिक कार्य व्यवहार में मैं रजनी गर्ग के नाम का प्रयोग कर रही हूँ. प्रकाशन सर्व-साधारण की जानकारी हेतु सूचनार्थ.

पुराना नाम :

(रजनी गुप्ता)

पिता श्री विशन गोपाल गुप्ता

नया नाम :

(रजनी गर्ग)

पति श्री राजीव गर्ग

A-23/2, M.I.G VED Nagar,

Ujjain (M.P.).

(44-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम बालकिशन चमार पिता स्व. भारतलाल चमार, उम्र 35 वर्ष, निवासी 1023 उत्तर मिलौनीगंज, जबलपुर (मध्यप्रदेश) के कुछ शैक्षणिक दस्तावेजों में उक्त नाम दर्ज है एवं अन्य कुछ दस्तावेजों में बालकिशन चौधरी नाम अंकित है. आज दिनांक से मेरे सभी शैक्षणिक शासकीय एवं अन्य सभी दस्तावेजों में बालकिशन चौधरी के नाम लिखा, पढ़ा व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(बालकिशन चमार)

नया नाम :

(बालकिशन चौधरी)

(47-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, लता गंगलानी ने विवाह उपरान्त अपना नाम परिवर्तन कर अर्चना खिलवानी कर लिया है. अबसे मुझे इसी नाम से जाना जावें.

पुराना नाम :

(लता गंगलानी)

नया नाम :

(अर्चना खिलवानी)

पता-10/ए, जमुना नगर,

इन्दौर (म.प्र.).

(48-बी.)

CHANGE IN NAME

It is to bring kind Notice to the People that my son Previous name Prashanth Thangappan has been changed to Saikirish Thangappan S/o Boominatan Thangappan. Therefore, in future my son will be known by the his new name only.

Boominatan thangappan,

Add : B-503, Elite Anmol Bicholi Road,

Near Bangali Square, Indore (M.P.).

(49-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का पूर्व में नाम समस्त कागजातों में प्रशांत कुमार पुत्र श्री प्रहलाद सिंह सगर (जन्म दिनांक 20 फरवरी, 1998) था. जो अब प्रशांत सागर हो गया है. अतः भविष्य में पुत्र को प्रशांत सागर के नाम से जाना, पहिचाना व पुकारा जावेगा.

प्रहलाद सिंह सगर,

निवासी-म. नं. 4, सरथी परिसर, सुरेश नगर,

थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर (म. प्र.).

(45-बी.)

CHANGE OF SURNAME

I, Rajaram Jhariya S/o Late Gochar Ram Jhariya declare that in my son's & daughter's documents me & my wife's name is Rajaram Mehra & Indrawati Mehra whereas correct names are Rajaram Jhariya & Indrawati Jhariya. Now we should be known by our original names.

Old Name :

(Rajaram Mehra)

New Name :

(Rajaram Jhariya)
Univercity, Behind 16 Teacher's
Quarter, Jabalpur (M.P.).

(46-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शिप्रा आनन्द माथुर पत्नी श्री हिमांशु माथुर, निवासी बी-3, गोमन्तिका परिसर, जवाहर चौक, नार्थ टी. टी. नगर, भोपाल मध्यप्रदेश में निवासरत् होकर घोषणा करती हूँ कि श्री हिमांशु माथुर से विवाह के पूर्व मेरा नाम सभी शैक्षणिक परीक्षाओं के बोर्ड, विश्वविद्यालय के दस्तावेजों में एवं अन्य समस्त अभिलेखों में शिप्रा आनन्द पुत्री श्री ओमप्रकाश मौर्य, निवासी ई. ई.-10, टाईप-5 पारीछा प्रोजेक्ट कॉलोनी, झांसी उत्तरप्रदेश इन्द्राज किया गया था एवं विवाह पूर्व मेरे द्वारा ग्रहण की गयी शिक्षण संस्थानों में भी मेरा नाम शिप्रा आनन्द इन्द्राज है. यह कि मुझ शिप्रा आनन्द का विवाह श्री हिमांशु माथुर के साथ सम्पन्न होने के उपरांत मेरा नाम शिप्रा आनन्द के स्थान पर शिप्रा आनन्द माथुर हो गया है, जिसे भविष्य में शिप्रा आनन्द माथुर नाम से जाना व समझा जावेगा, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आम-सूचना का प्रकाशन कराया जा रहा है एवं भविष्य में शिप्रा आनन्द माथुर पढ़ा, समझा, सम्बोधित व जाना जावे.

पुराना नाम :

(शिप्रा आनन्द)

नया नाम :

(शिप्रा आनन्द माथुर)
पत्नी श्री हिमांशु माथुर,
निवासी-बी-3, गोमन्तिका परिसर, जवाहर चौक,
नार्थ टी. टी. नगर, भोपाल (म. प्र.)

(51-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम निर्मला द्विवेदी पति राजधर द्विवेदी था. जिसे सुशीला द्विवेदी पति राजधर द्विवेदी करवाया जा रहा है. निर्मला द्विवेदी व सुशीला द्विवेदी पति राजधर द्विवेदी दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः भविष्य में मेरा सही रूप से सुशीला द्विवेदी पति राजधर द्विवेदी पढ़ा, लिखा व जाना जाए.

पुराना नाम :

(निर्मला द्विवेदी)

नया नाम :

(सुशीला द्विवेदी)
पति राजधर द्विवेदी,
सिविल लाइन, तहसील रोड,
वार्ड नं. 02, नागौद, जिला सतना (म. प्र).

(53-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, तहसील बुधनी, जिला सीहोर

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 3 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक,
तहसील बुधनी, जिला सीहोर के समक्ष.

यह कि चित्रकूट अखंड नर्मदा अन्नक्षेत्र एवं विश्राम आश्रम ट्रस्ट समिति, ग्राम रेउगांव, तहसील रेहटी ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा 29 अप्रैल, 2014 दिवस मेरे न्यायालय में विचार किया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम	:	चित्रकूट अखण्ड नर्मदा अन्नक्षेत्र एवं विश्राम आश्रम ट्रस्ट, तहसील रेहटी, जिला सीहोर.
चल सम्पत्ति	:	61,960/- नकद.
अचल सम्पत्ति	:	कृषि भूमि ख. नं. 109 रकबा 0.376 हेक्टेयर एवं भवन (मंदिर)

एच. एस. चौधरी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(323)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, सागर

फार्म-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

आवेदक श्री पी. एन. भट्ट, निवासी गोपालगंज, सागर, तह. व जिला सागर द्वारा नियम-4 (1) मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर "पं. पी. एन. भट्ट ज्योतिष शोध एवं समाज सेवार्थ ट्रस्ट" के पंजीयन हेतु निवेदन किया है. जिसकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 26 मई, 2014 को प्रातः 11.00 बजे की जावेगी.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	:	पं. पी. एन. भट्ट ज्योतिष शोध एवं समाज सेवार्थ ट्रस्ट, सागर.
पता	:	हाउस नं. 13 श्रीमति विद्यावती के मकान में श्रीदेव जानकी रमण मंदिर के बाजू से, गोपालगंज, सागर (म. प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
अन्य चल सम्पत्ति	:	77,000/- रुपये नगद.

कमल सोलंकी,
अनुविभागीय अधिकारी.

(319)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सैलाना, जिला रतलाम

प्र. क्र. 01/बी-113/2013-14.

चूँकि श्री रतनलाल पिता स्व. प्यारचंदजी रांका, निवासी सदर बाजार, सैलाना, अध्यक्ष जैन उपासरा ट्रस्ट बोर्ड, सैलाना, जिला रतलाम ट्रस्ट बोर्ड पुनर्निर्माण सार्वजनिक पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1959, 02-06-1959 की धारा-4 (चार) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गयी संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतएव सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई दिनांक 30 मई, 2014 को होगी. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचित हो तो इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप की सूचना हो या सुझाव देना हो तो वह इस विज्ञप्ति के जारी होने के एक माह के भीतर की अवधि में न्यायालय में अपने वकील, अखवार एजेण्डा के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आरोपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

जैन उपासरा ट्रस्ट बोर्ड

प्रस्तावना— श्री स्व. उंकारलालजी पिता स्व. दलीचंदजी द्वारा धर्म आराधना से प्रभावित होकर मन के अन्दर एक विचार किया कि एक जगह ऐसी दी जावे कि जिसमें जैन साधुजी महाराज एवं सतियाजी महाराज ठहर सकें व भाई बहन प्रतिक्रमण सामायिक स्वाध्याय छ काया धर्म ध्यान की क्रिया करते रहें. यह मकान सिर्फ धर्म आराधना के लिये उपयोग में आना चाहिये. श्री स्व. उंकारलालजी रांका द्वारा उनके मकान के सामने एक मकान दो मंजिला जिसकी लम्बाई 35 फीट व 20 फीट चौड़ाई या स्थानक (उपासरा) को अर्पण कर दिया. दिनांक 13-01-1924 को दान दिया गया मकान जिसमें उपस्थित श्री स्व. मोदी धुलचंदजी पिता स्व. बालचंदजी, उंकारलालजी के सुपुत्र स्व. श्री प्यारचंदजी रांका, स्व. श्री पन्नालालजी लोढ़ा, स्व. श्री भागीरथजी कोठारी की उपस्थिति में यह शुभ कार्य किया गया. श्री उंकारलालजी के स्वर्गवास होने पर उनके सुपुत्र श्री स्व. प्यारचंदजी रांका द्वारा इसकी देख-रेख की गई. 1962 में श्री प्यारचंदजी रांका द्वारा एक पुस्तकालय इसमें खोला गया, जिसे काफी प्रोत्साहन मिला, इसे देखकर श्री प्यारचंदजी रांका द्वारा सन् 1962 में कुछ राशि रतलाम के प्रसिद्ध दलाल नेमचंदजी सोभाग्यमलजी कोठारी को ब्याज में लगाने हेतु ब्याज पर दी गई व रकम का ब्याज लेकर इसे सतत् बढ़ाते हुए इसी भवन व इसमें उपयोगी आवश्यकतानुसार यह राशि खर्च का प्रावधान किया गया. यह राशि आज भी दलाल नेमचंदजी सोभाग्यमलजी कोठारी के यहाँ श्री जैन पुस्तकालय सैलाना तथा श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन पाठशाला सैलाना के नाम से ब्याज पर चल रही है, जैन पुस्तकालय, सैलाना के नाम से जो राशि ब्याज पर चल रही है, उसका कुल आकार 7,55,593/- रुपये तथा श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन पाठशाला सैलाना के नाम से जो राशि ब्याज पर चल रही है, उसका कुल आकार 1,77,079/- रुपये है. इस प्रकार ट्रस्ट की कुल राशि 9,32,672/- रुपये है. अब आज यह निश्चित किया गया कि इस भवन का नवीनीकरण व सुव्यवस्थित किया जावे. अतः एक ऐसे ट्रस्ट का गठन किया जावे और इसी हेतु जैन उपासरा ट्रस्ट द्वारा संकल्प पारित कर ट्रस्ट बोर्ड का गठन किया गया है तथा ट्रस्ट के सार्वजनिक न्यास अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन किया जाना भी निश्चित किया गया.

ट्रस्ट का नाम व ट्रस्ट की संपत्ति—जैन उपासरा (अराधना भवन) बोर्ड सैलाना, जिला रतलाम रखा गया है. संपत्ति के रूप में सिर्फ यह जगह जो कि जैन उपासरा के नाम से नगर पंचायत, सैलाना के असेसमेंट रजिस्टर के पृष्ठ क्रमांक 57 पर मकान क्रमांक 263 के रूप में दर्ज है. इसके अलावा किसी प्रकार की संपत्ति नहीं है. सन् 1962 में श्री प्यारचंदजी रांका द्वारा दी गई राशि आज भी दलाल नेमचंदजी सौभाग्यमलजी कोठारी के यहाँ ब्याज पर निरंतर बढ़ रही है, जिसका दिनांक 31-02-2012 तक कुल आकार 9,32,672/- रुपये है. इसके अतिरिक्त ट्रस्ट की चल संपत्ति में तीन लकड़ी की अलमारियां जिनमें जैन धर्म से संबंधित करीब 2000 पुस्तकें सुरक्षित रखी हुई हैं.

न्यासकर्ता—

1. श्री रतनलाल पिता स्व. श्री प्यारचंदजी रांका
   निवासी—257, सदर बाजार, सैलाना, जिला रतलाम (म. प्र.)
2. श्री अनिल पिता स्व. श्री कमल कुमार जी तलेरा
   निवासी—नई आबादी, मंदसौर (म. प्र.)
3. श्री डाड़मचंद रांका पिता स्व. श्री प्यारचंदजी रांका
   निवासी—शास्त्री नगर, भीलवाड़ा (राज.)
4. श्री संजय पिता स्व. मोतीलालजी रांका
   निवासी—रामपूरा बाजार, कोटा (राज.)
5. श्री अभय कुमार पिता स्व. श्री समरथमलजी कांकरिया
   निवासी—जवाहर मार्ग, बदनावर, जिला धार (म. प्र.)
6. श्री संदीप पिता रतनलालजी रांका
   निवासी—सदर बाजार, सैलाना, जिला रतलाम (म. प्र.)
7. श्री बसंतजी पिता भगवतीलालजी सेठिया
   निवासी—नई शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा (राज.)
8. श्री प्रकाश पिता श्री शांतिलालजी रांका
   निवासी—सदर बाजार, सैलाना, जिला रतलाम (म. प्र.)

9. श्री शांतिलाल पिता बालचंदजी रांका

निवासी—नया बस स्टैण्ड, जावरा, जिला रतलाम (म. प्र.)

खाता— श्री जैन पुस्तकालय, सैलाना.

निम्न पार्टियों में रुपये दिनांक 31-03-2012 को बाकी लेना है—

राशि	पार्टी का नाम
15,000.00	अनुपम वस्त्र भण्डार
15,000.00	मणीलालजी अम्रतलालजी
15,000.00	दाडमचंदजी केसरीमलजी एण्ड कम्पनी
15,000.00	डांगी ज्वेलर्स
15,000.00	अम्रतलालजी मुकेश कुमारजी
15,000.00	श्रीपाल इलेक्ट्रीक स्टार्स
15,000.00	माणाजी दाडमचन्दजी
15,000.00	मोहनलालजी सुरजमलजी
15,000.00	सागर सेन्थेटीक्स
15,000.00	चौधरी ब्रदर्श
15,000.00	भंवरलालजी राजमलजी
15,000.00	केदारजी लक्ष्मीनारायनजी
15,000.00	एस. डी. ज्वेलर्स
15,000.00	बरमेचा क्लाथ स्टोर्स
15,000.00	शेखर कुमारजी भंवरलालजी
15,000.00	लुणीया ट्रेडर्स
15,000.00	कान्तिलालजी विमलकुमारजी
15,000.00	महेन्द्र कुमारजी शान्तीलालजी
15,000.00	राजलक्ष्मी बुक्स सेन्टर
15,000.00	पुनमचन्दजी रत्तीचन्दजी एच.यु.एफ.
15,000.00	प्रशान्तकुमारजी श्यामसुन्दरजी
15,000.00	प्रकाशचन्दजी पारसमलजी
15,000.00	अनुदीप प्रकाशचन्दजी
15,000.00	विवाह साड़ी
15,000.00	फेशन घर
15,000.00	महावीर टीम्बर ट्रेडर्स
15,000.00	दाडमचन्दजी बाबुलालजी एच.यु.एफ.
15,000.00	गोरवकुमारजी प्रदीपकुमारजी
15,000.00	अजयकुमारजी प्रकाशचंदजी
2,017.00	मोहनलालजी सुरजमलजी
15,000.00	प्रदीपकुमारजी पारसमलजी
15,000.00	अनुकुल साड़ी सेन्टर
10,000.00	स्वस्तिक ट्रेडिंग कम्पनी
15,000.00	महेशकुमारजी बाबुलालजी एच.यु.एफ.
15,000.00	केसरीमलजी समरथमलजी

राशि	पार्टी का नाम
15,000.00	सेठानी साड़ीज
15,000.00	श्रीनाथ ज्वेलर्स
15,000.00	कोठारी साड़ी पिपल खुटावाला
15,000.00	अशोक कुमारजी नाथुलालजी
15,000.00	शशांककुमारजी जयन्तीलालजी
15,000.00	श्री नागेश्वर प्लास्टीक
15,000.00	मनीष कुमारजी अशोककुमारजी
15,000.00	रमेशचन्दजी बाबुलालजी
15,000.00	सन्तोषकुमारजी रतनलालजी
15,000.00	राजेन्द्रकुमारजी सुजानमलजी
15,000.00	सुशील कुमारजी वागमलजी
8,576.00	छगनलालजी सोभागमलजी
15,000.00	संदीपकुमारजी सोभागमलजी
15,000.00	भटेवरा ब्रदर्श
15,000.00	सन्तोषी ट्रेडर्स
15,000.00	बसंतीलालजी सुजानमलजी
15,000.00	मनोज ट्रेडर्स
	कुल राशि 7,55,593.00

संलग्न : सूची अनुसार संपत्ति का विवरण.

खाता— श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन पाठशाला, सैलाना.

निम्न पार्टियों में रुपये दिनांक 31-03-2012 को बाकी लेना है—

राशि	पार्टी का नाम
15,000.00	एस. डी. ज्वेलर्स
15,000.00	केसरीमलजी समरथमलजी
15,000.00	भवरलालजी राजमलजी
15,000.00	पुनमचन्दजी वोरा एच. यु. एफ.
15,000.00	अनुपम वस्त्र भंडार
15,000.00	प्रकाशचन्दजी पारसमलजी
15,000.00	अजयकुमारजी प्रकाशचन्दजी
2,784	मोहनलालजी सुरजमलजी
15,000.00	गोरवकुमारजी प्रदीपकुमारजी
15,000.00	सेठानी साड़ीज
2,891.00	अनोखीलालजी गेन्दालालजी
15,000.00	भटेवरा ब्रदर्श
15,000.00	सुशीलकुमारजी वागमलजी
6,404.00	छगनलालजी सोभागमलजी
	कुल राशि 1,77,079.00

के. सी. जैन,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4056, दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 के द्वारा आकाश दीप महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए. आर. बी./ 731, दिनांक 01 सितम्बर, 1994 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि ''संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है''

अत: मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1702, दिनांक 28 जून, 2013 के द्वारा गंगा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी. आर. बी./ 515, दिनांक 16 सितम्बर, 1987 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत कु. अलका तिग्गा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि ''संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है''

अत: मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1693, दिनांक 28 जून, 2013 के द्वारा वनवासी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए. आर. बी./ 530, दिनांक 04 मार्च, 1987 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री ओ. पी. मालवीय, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि ''संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है''.

अत: मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त

रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3214, दिनांक 11 अगस्त, 2011 के द्वारा राधा कृष्ण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी. आर. बी./ 773, दिनांक 01 जनवरी, 1998 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती मीरा देवी, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि ''संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है''.

अत: मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4059, दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 के द्वारा शिवांगी महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या.,भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए. आर. बी./ 813, दिनांक 07 अगस्त, 1996 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती संगीता सोलंकी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि ''संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है''.

अत: मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 13 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(295-D)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

एस. बी. आई. कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र.-106, दिनांक 05 दिसम्बर, 1962 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 295, दिनांक 10 फरवरी, 2014 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक

26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए एस. बी. आई. कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत कु. अल्का तिग्गा को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि कु. अल्का तिग्गा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(295-E)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

बाहूवली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र.-719, दिनांक 05 अक्टूबर, 1996 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 296, दिनांक 10 फरवरी, 2014 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए बाहूवली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती मीरा देवी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्रीमती मीरा देवी, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(295-F)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

रेल पुलिस कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र.-1129, दिनांक 22 दिसम्बर, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 294, दिनांक 10 फरवरी, 2014 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए रेल पुलिस कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. के. गुप्ता S.A. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री डी. के. गुप्ता, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

आर. एस. विश्वकर्मा,
उप-पंजीयक.

(295-G)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:---

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	दुर्गा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., भोपाल	डी. आर. बी./ 461, दिनांक 3 सितम्बर, 1995	क्रमांक/परि./2013/2367, दिनांक 30 सितम्बर, 2013

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1), (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

अत: आज दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

के. सी. जैन,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(296)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 13 जनवरी, 2014

क्र./परि./2014/153.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सारोल, जिसका पंजीयन क्रमांक/स.प.दे./ 922, दिनांक 26 फरवरी, 2000 है, तहसील देवास, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. के. जैन, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को आदेश क्र. 1244, दिनांक 29 अप्रैल, 2013 से परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 आयोजित कर सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्यों के आर्थिक उन्नति के हित में संस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं. सहकारिता के विस्तार की दृष्टि से संस्था को पुनर्जीवित करना उचित है तथा परिसमापक के प्रस्ताव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व बना रहना उचित है एवं उसे पुनर्जीवित करना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा-3 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सारोल, तहसील देवास, जिला देवास को परिसमापन में लाने हेतु जारी किये गये आदेश को निरस्त करते हुए इस आदेश के तहत पुनर्जीवित करता हूँ तथा निर्देश देता हूँ कि तीन माह में संस्था अपना निर्वाचन पूर्ण करावे.

यह आदेश आज दिनांक 13 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.

(297)

देवास, दिनांक 13 जनवरी, 2014

क्र./परि./2014/154.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, अखेपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक/स.प.दे./ 1146, दिनांक 06 जून, 2006 है, तहसील देवास, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. के. जैन, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को आदेश क्र. 1254, दिनांक 29 अप्रैल, 2013 से परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा दिनांक 15 सितम्बर, 2013 आयोजित कर सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्यों के आर्थिक उन्नति के हित में संस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं. सहकारिता के विस्तार की दृष्टि से संस्था को पुनर्जीवित करना उचित है तथा परिसमापक के प्रस्ताव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व बना रहना उचित है एवं उसे पुनर्जीवित करना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा-3 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, अखेपुर, तहसील देवास, जिला देवास को परिसमापन में लाने हेतु जारी किये गये आदेश को निरस्त करते हुए इस आदेश के तहत पुनर्जीवित करता हूँ तथा निर्देश देता हूँ कि तीन माह में संस्था अपना निर्वाचन पूर्ण करावे.

यह आदेश आज दिनांक 13 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.

(297-A)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवास.

द्वारा : अध्यक्ष/प्रभारी,

पंजीयन क्रमांक 1361, दिनांक 08 अगस्त, 2013

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत लिखित में रेकॉर्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बन्द नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जनवरी, 2014 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकॉर्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(297-B)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

सिद्ध विनायक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हाटपिपल्या.

द्वारा : अध्यक्ष/प्रभारी,

पंजीयन क्रमांक 1358, दिनांक 08 अगस्त, 2013

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत लिखित में रेकॉर्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बन्द नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जनवरी, 2014 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकॉर्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(297-C)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

जय किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जानसूर, तहसील सतवास.

द्वारा : अध्यक्ष/प्रभारी,

पंजीयन क्रमांक 1360, दिनांक 08 अगस्त, 2013

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत लिखित में रेकॉर्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बन्द नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 27 जनवरी, 2014 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकॉर्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

के. एन. त्रिपाठी,
उप पंजीयक.

(297-D)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर

सागर, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/355.—आदर्श टेलीफोन ट्रेफिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 38, दिनांक 31 अगस्त, 1984 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/227, दिनांक 25 जनवरी, 2006 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री बी. पी. खरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, संजय नायक, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदर्श टेलीफोन ट्रेफिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 38, दिनांक 31 अगस्त, 1984 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(298)

सागर, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/356.—विट्ठल श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 515,

दिनांक 07 मई, 1991 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/3123, दिनांक 26 सितम्बर, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री बी. पी. खरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, संजय नायक, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विट्ठल श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 515, दिनांक 07 मई, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(298-A)

सागर, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/357.—सरिता गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 14, दिनांक 02 अप्रैल, 1981 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/224, दिनांक 25 जनवरी, 2006 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री जी. पी. कोरी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, संजय नायक, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरिता गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 14, दिनांक 02 अप्रैल, 1981 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(298-B)

सागर, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/358.—कस्तूरबा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मकरोनिया सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 759, दिनांक 18 फरवरी, 2000 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री जी. पी. कोरी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, संजय नायक, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कस्तूरबा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मकरोनिया सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 759, दिनांक 18 फरवरी, 2000 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(298-C)

सागर, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/359.--बसुन्धरा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भापेल, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 127, दिनांक 03 सितम्बर, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/300, दिनांक 04 फरवरी, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक कु. प्राची जैन, सहकारी निरीक्षक, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, संजय नायक, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बसुन्धरा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भापेल, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 127, दिनांक 03 सितम्बर, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(298-D)

सागर, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/360.--कृषक कल्याण उद्योग सहकारी समिति मर्या., गौरझामर, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 144, दिनांक 26 जून, 2006 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2828, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री रजनीश नायक, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, देवरी द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, संजय नायक, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषक कल्याण उद्योग सहकारी समिति मर्या., गौरझामर, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 144, दिनांक 26 जून, 2006 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(298-E)

सागर, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/361.—नगरपालिका कर्मचारी हरिजन साख सहकारी समिति मर्या., देवरी, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 189, दिनांक 01 फरवरी, 1986 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री रजनीश नायक, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, देवरी द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, संजय नायक, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका कर्मचारी हरिजन साख सहकारी समिति मर्या., देवरी, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 189, दिनांक 01 फरवरी, 1986 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(298-F)

सागर, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/362.—श्रमजीवी पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 114, दिनांक 27 जून, 1997 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2882, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, संजय नायक, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रमजीवी पत्रकार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 114, दिनांक 27 जून, 1997 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(298-G)

सागर, दिनांक 29 मार्च, 2014/5 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/385.—रानी रूपमती महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 560, दिनांक 11 जनवरी, 1994 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2857, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, संजय नायक, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रानी रूपमती महिला उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 560, दिनांक 11 जनवरी, 1994 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(298-H)

सागर, दिनांक 29 मार्च, 2014/5 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/386.—लक्ष्मी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., रामपुरा वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 949, दिनांक 29 सितम्बर, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2866, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, संजय नायक, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., रामपुरा वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 949, दिनांक 29 सितम्बर, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(298-I)

सागर, दिनांक 29 मार्च, 2014/5 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/387.—प्राथमिक ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., इतवारी वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 747, दिनांक 13 मई, 1999 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2864, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, संजय नायक, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., इतवारी वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 747, दिनांक 13 मई, 1999 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(298-J)

सागर, दिनांक 29 मार्च, 2014/5 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/389.—विकास ईंट भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., भटोली, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1150, दिनांक 03 सितम्बर, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2832, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री रजनीश नायक, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, देवरी द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, संजय नायक, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विकास ईंट भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., भटोली, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1150, दिनांक 03 सितम्बर, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम-निकाय (बॉडी कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

संजय नायक,
उप पंजीयक.

(298-K)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत्]

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से यह सूचित किये जाने पर कि जय श्री किसान क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था, मर्यादित, छनेरा, पंजीयन क्रमांक 1885,विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण द वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. उक्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/1079, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था.—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.

3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के प्रतिवेदन अनुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. इस प्रकार संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा जय श्री किसान क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था, मर्यादित, छनेरा, पंजीयन क्रमांक 1885, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री आर. के. विश्नोई, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(299)

खण्डवा, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से यह सूचित किये जाने पर कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मर्यादित, छैगाँव देवी, पंजीयन क्रमांक 1996, विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण द वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. उक्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/1079, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था.—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.

3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के प्रतिवेदन अनुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. इस प्रकार संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मर्यादित, छैगाँव देवी, पंजीयन क्रमांक 1996, को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री जी. पी. नागवंशी, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(299-A)

खण्डवा, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से यह सूचित किये जाने पर कि केशवान्द वस्त्र उत्पादक सहकारी संस्था, मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1962, दिनांक 11 मई, 2006 विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण द वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. उक्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/1079, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था.—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के प्रतिवेदन अनुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. इस प्रकार संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा केशवान्द वस्त्र उत्पादक सहकारी संस्था, मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1962, दिनांक 11 मई, 2006 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(299-B)

खण्डवा, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

क्र./परि./2013/3354.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से यह सूचित किये जाने पर कि अन्नपूर्ण प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था, मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1270, दिनांक 06 जनवरी, 1982 विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण द वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. उक्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/1079, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था.—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के प्रतिवेदन अनुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. इस प्रकार संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा अन्नपूर्ण प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था, मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1270, दिनांक 06 जनवरी, 1982 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री अनिल अत्रे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(299-C)

खण्डवा, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

क्र./परि./2013/3355.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से यह सूचित किये जाने पर कि पूर्णिमा कापी रजिस्टर सहकारी संस्था, मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1519, दिनांक 28 मार्च, 1994 विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण द वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. उक्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/1079, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था.—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के प्रतिवेदन अनुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. इस प्रकार संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा पूर्णिमा कापी रजिस्टर सहकारी संस्था, मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1519, दिनांक 28 मार्च, 1994 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री आर. के. पारे, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(299-D)

खण्डवा, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

क्र./परि./2013/3356.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से यह सूचित किये जाने पर कि वीरपुर कुण्डेश्वर अबना सागर बांध निर्माण सहकारी संस्था, मर्यादित, टिठिया जोशी, पंजीयन क्रमांक 1850,दिनांक 26 मई, 2002 विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण द वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. उक्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/1079, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था.—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.

3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के प्रतिवेदन अनुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. इस प्रकार संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा वीरपुर कुण्डेश्वर अबना सागर बांध निर्माण सहकारी संस्था, मर्यादित, टिठिया जोशी, पंजीयन क्रमांक 1850, दिनांक 26 मई, 2002 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री सुभाष चौहान, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(299-E)

खण्डवा, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

क्र./परि./2013/3357.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से यह सूचित किये जाने पर कि मांधाता फसल सुरक्षा सहकारी संस्था, मर्यादित, केहलारी, पंजीयन क्रमांक 1975, दिनांक 29 सितम्बर, 2006 विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण द वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. उक्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/1079, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था.—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.

3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के प्रतिवेदन अनुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. इस प्रकार संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा मांधाता फसल सुरक्षा सहकारी संस्था, मर्यादित, केहलारी, पंजीयन क्रमांक 1975, दिनांक 29 सितम्बर, 2006 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री जी. पी. नागवंशी, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(299-F)

खण्डवा, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

क्र./परि./2013/3359.—नर्मदा मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, पुनासा, पंजीयन क्रमांक 1647, दिनांक 04 मार्च,1997 का बहिर्गमी संचालक मण्डल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रहने के कारण संचालक मंडल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (8) अंतर्गत प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. कार्यालयीन समीक्षा बैठक में प्रभारी अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के द्वारा निर्वाचन कराने में रुचि नहीं ली जा रही है. संस्था की अंकेक्षण टीपों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट न होने पर कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर रही है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/3030, दिनांक 06 अगस्त, 2013 के द्वारा निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु संस्था को निर्देशित किया गया.

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.

2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.

3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र भी विधिवत् तामिली के बावजूद निर्धारित अवधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है और इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा नर्मदा मत्स्य सहकारी संस्था, मर्यादित, पुनासा पंजीयन क्रमांक 1647, दिनांक 4 मार्च, 1997 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (2) के तहत श्री जी. एल. वर्मा., वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(299-G)

खण्डवा, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

क्र./परि./2013/3363.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से यह सूचित किये जाने पर कि श्रीराम फसल सुरक्षा सहकारी संस्था, मर्यादित, छनेरा, पंजीयन क्रमांक 2046, दिनांक 27 जुलाई, 2007 विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण द वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. उक्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/1079, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था.—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के प्रतिवेदन अनुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. इस प्रकार संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्रीराम फसल सुरक्षा सहकारी संस्था, मर्यादित, छनेरा, पंजीयन क्रमांक 2046, दिनांक 27 जुलाई, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री राधामोहन विशनोई, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(299-H)

खण्डवा, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से यह सूचित किये जाने पर कि पुष्पक यातायात सहकारी संस्था, मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1599,दिनांक 06 नवम्बर, 1995 विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण द वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. उक्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/1079, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था.—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के प्रतिवेदन अनुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. इस प्रकार संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा पुष्पक यातायात सहकारी संस्था, मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1599,दिनांक 06 नवम्बर, 1995 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री आर. के. पारे, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(299-I)

खण्डवा, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

क्र./परि./2013/3364.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से यह सूचित किये जाने पर कि पटेल आदर्श बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, मर्यादित, मछौडी, पंजीयन क्रमांक 1952,दिनांक 21 दिसम्बर, 2005 विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण द वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. उक्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/1079, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था.—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के प्रतिवेदन अनुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. इस प्रकार संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा पटेल आदर्श बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, मर्यादित, मछौडी, पंजीयन क्रमांक 1952, दिनांक 21 दिसम्बर, 2005 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री एस. एस. सिसोदिया, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(299-J)

खण्डवा, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

क्र./परि./2013/3365.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से यह सूचित किये जाने पर कि जमना महिला कुक्कुट पालन सहकारी संस्था, मर्यादित, धरमपुरी, पंजीयन क्रमांक 1836,दिनांक 11 सितम्बर, 2001 विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण द वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. उक्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/1079, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था.—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के प्रतिवेदन अनुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. इस प्रकार संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा जमना महिला कुक्कुट पालन सहकारी संस्था, मर्यादित, धरमपुरी, पंजीयन क्रमांक 1836,दिनांक 11 सितम्बर, 2001 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री रमेशलाल मंगवानी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(299-K)

खण्डवा, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

क्र./परि./2013/3366.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से यह सूचित किये जाने पर कि सर्वोदय कामगार कारीगर सहकारी संस्था, मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 2014,दिनांक 19 अप्रैल, 2007 विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण द वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. उक्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/1079, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था.—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के प्रतिवेदन अनुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. इस प्रकार संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा सर्वोदय कामगार कारीगर सहकारी संस्था, मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 2014,दिनांक 19 अप्रैल, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री संतोष पाटीदार, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(299-L)

खण्डवा, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

क्र./परि./2013/3369.—गणेश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1291, दिनांक 09 सितम्बर, 1982 का बहिर्गमी संचालक मण्डल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रहने के कारण संचालक मंडल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (8)के अंतर्गत प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. कार्यालयीन समीक्षा बैठक में प्रभारी अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के द्वारा निर्वाचन कराने में रुचि नहीं ली जा रही है. संस्था की अंकेक्षण टीपों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होने पर कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर रही है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/3019, दिनांक 06 अगस्त, 2013 के द्वारा निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु संस्था को निर्देशित किया गया.—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र भी विधिवत् तामिली के बावजूद निर्धारित अवधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है और इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा गणेश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1291, दिनांक 09 सितम्बर, 1982 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (2) के तहत श्री आर. के. पारे, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(299-M)

खण्डवा, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

क्र./परि./2013/3370.—प्रगति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1247, दिनांक 18 जून, 1981 का बहिर्गमी संचालक मण्डल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रहने के कारण संचालक मंडल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (8) के अंतर्गत प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. कार्यालयीन समीक्षा बैठक में प्रभारी अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के द्वारा निर्वाचन कराने में रुचि नहीं ली जा रही है. संस्था की अंकेक्षण टीपों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होने पर कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर रही है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/3027, दिनांक 06 अगस्त, 2013 के द्वारा निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु संस्था को निर्देशित किया गया.—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र भी विधिवत् तामिली के बावजूद निर्धारित अवधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है और इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा प्रगति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1247, दिनांक 18 जून, 1981 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (2) के तहत श्री अनिल अत्रे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(299-N)

खण्डवा, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

क्र./परि./2013/3371.—आदर्श बैष्णों अधिकारी/कर्मचारी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1872, दिनांक 11 दिसम्बर, 2002 का बहिर्गमी संचालक मण्डल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्वाचन कराने में असफल रहने के कारण संचालक मंडल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (8) के अंतर्गत प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. कार्यालयीन समीक्षा बैठक में प्रभारी अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के द्वारा निर्वाचन कराने में रुचि नहीं ली जा रही है. संस्था की अंकेक्षण टीपों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होने पर कि संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा अपने उद्देश्यों के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर रही है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/3017, दिनांक 06 अगस्त, 2013 के द्वारा निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु संस्था को निर्देशित किया गया.—

1. लगातार अकार्यशील रहकर संस्था के द्वारा सदस्यों के हित में कार्यवाही नहीं की जा रही है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र भी विधिवत् तामिली के बावजूद निर्धारित अवधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से सहमत है और इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदर्श बैष्णों अधिकारी/कर्मचारी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1872, दिनांक 11 दिसम्बर, 2002 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (2) के तहत श्री एस. एस. सिसौदिया, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(299-O)

खण्डवा, दिनांक 28 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/177.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/3226, दिनांक 23 सितम्बर, 2013 के द्वारा प्रियदर्शनी वेयर हाउसिंग एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा (पंजीयन क्रमांक 1861, दिनांक 09 जुलाई, 2002) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एल. मंगवानी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें संस्था की लेनदारी व देनदारियों का निपटारा किए जाने का उल्लेख कर अंतिम विवरण-पत्रक में लेनदारी व देनदारी को शून्य कर दी गई है. अंतिम स्थिति विवरण-पत्रक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा द्वारा जांच उपरांत निर्गमित की गई है. परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए संस्था प्रियदर्शनी वेयर हाउसिंग एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा (पंजीयन क्रमांक 1861, दिनांक 09 जुलाई, 2002) विकासखण्ड खण्डवा, जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(299-P)

खण्डवा, दिनांक 28 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./परि./2014/180.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से यह सूचित किये जाने पर कि माँ रेवा मांझी कामगार कारीगर सहकारी संस्था, मर्यादित, बिल्लौरा खूर्द, पंजीयन क्रमांक 1625,दिनांक 29 जून, 1996 विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय-पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण द वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. उक्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/1079, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था.—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.

3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा को प्रतिवेदन अनुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. इस प्रकार संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा माँ रेवा मांझी कामगार कारीगर सहकारी संस्था, मर्यादित, बिल्लौरा खूर्द, पंजीयन क्रमांक 1625,दिनांक 29 जून, 1996 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत श्री एस. के. पाटीदार, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(299-Q)

खण्डवा, दिनांक 28 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

क्र./परि./2014/181.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/657, दिनांक 11 जून, 2013 से यह सूचित किये जाने पर कि ओंम महिला रेत उत्खनन सहकारी संस्था, मर्यादित, बिल्लौरा खूर्द, पंजीयन क्रमांक 1667,दिनांक 19 मई, 1998 विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण द वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. उक्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2013/1079, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुये सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था.—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.

3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा को प्रतिवेदन अनुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. इस प्रकार संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा ओंम महिला रेत उत्खनन सहकारी संस्था, मर्यादित, बिल्लौरा खूर्द, पंजीयन क्रमांक 1667,दिनांक 19 मई, 1998 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की

धारा-70 (1) के तहत श्री एस. के. पाटीदार, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(299-R)

खण्डवा, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/3345, दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 के द्वारा आदर्श कृषि एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, पंधाना (पंजीयन क्रमांक 1837, दिनांक 19 सितम्बर, 2006) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आर. एल. मंगवानी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें संस्था की लेनदारी व देनदारियों का निपटारा किए जाने का उल्लेख कर अंतिम विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी को शून्य कर दी गई है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा द्वारा जांच उपरांत निर्गमित की गई है. परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए संस्था आदर्श कृषि एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, पंधाना (पंजीयन क्रमांक 1837, दिनांक 19 सितम्बर, 2006) विकासखण्ड खण्डवा, जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(299-S)

खण्डवा, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/3353, दिनांक 26 अक्टूबर, 2013 के द्वारा केशवानंद वस्त्रोत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा (पंजीयन क्रमांक 1962, दिनांक 11 मई, 2006) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें संस्था की लेनदारी व देनदारियों का निपटारा किए जाने का उल्लेख कर अंतिम विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी को शून्य कर दी गई है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा द्वारा जांच उपरांत निर्गमित की गई है. परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए संस्था केशवानंद वस्त्रोत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा (पंजीयन क्रमांक 1962, दिनांक 11 मई, 2006) विकासखण्ड खण्डवा, जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(299-T)

खण्डवा, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/3224, दिनांक 23 सितम्बर, 2013 के द्वारा रेणुका माता बीज क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, टाकलखेड़ा (पंजीयन क्रमांक 2070, दिनांक 21 अक्टूबर, 2007) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें संस्था की लेनदारी व देनदारियों का निपटारा किए जाने का उल्लेख कर अंतिम विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी को शून्य कर दी गई है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा द्वारा जांच उपरांत निर्गमित की गई है. परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए रेणुका माता बीज क्रय-विक्रय विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, टाकलखेड़ा (पंजीयन क्रमांक 2070, दिनांक 21 अक्टूबर, 2007) विकासखण्ड खण्डवा, जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निर्गमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(299-U)

खण्डवा, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/3222, दिनांक 23 सितम्बर, 2013 के द्वारा लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, टाकलखेड़ा (पंजीयन क्रमांक 1968, दिनांक 03 सितम्बर, 2006) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें संस्था की लेनदारी व देनदारियों का निपटारा किए जाने का उल्लेख कर अंतिम विवरण पत्रक में लेनदारी व देनदारी को शून्य कर दी गई है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा द्वारा जांच उपरांत निर्गमित की गई है. परिसमापक द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, टाकलखेड़ा (पंजीयन क्रमांक 1968, दिनांक 03 सितम्बर, 2006) विकासखण्ड पंधाना, जिला खण्डवा का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निर्गमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(299-V)

खण्डवा, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/307.—दादा जी क्रय-विक्रय विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा (पंजीयन क्र. 1770, दिनांक 12 जुलाई, 2000) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/3222, दिनांक 23 सितम्बर, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां

अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक, खण्डवा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि संस्था के हितों को दृष्टिगत रखते हुये संस्था को पुनर्जीवित किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, म. प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दादा जी क्रय-विक्रय विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा (पंजीयन क्र. 1770, दिनांक 12 जुलाई, 2000) को पुनर्जीवित करता हूँ. तथा संस्था के कारोबार संचालन हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-53 (12) के अंतर्गत श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ.

साथ ही निर्देशित किया जाता है कि संस्था का निर्वाचन अविलंब करवाकर नवनिर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

मदन गजभिये ,
उप-पंजीयक.

(299-W)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 06/1043, दिनांक 13 अप्रैल, 2006 द्वारा तेजाजी महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्या., मसवाड़िया, तह. बड़नगर, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 46, दिनांक 12 मई, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पुरूषोत्तम सोनी, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(300)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 476, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कचनारिया जिसका पंजीयन क्रमांक 718, दिनांक 15 अक्टूबर, 1985 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(300-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 476, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्याराधौ जिसका पंजीयन क्रमांक 1035, दिनांक 19 सितम्बर, 1992 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(300-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	आजाद इण्डस्ट्रीज सहकारी संस्था, उज्जैन	904/19-03-1995
2.	अनुसूचित जाति ईंट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1101/24-05-1994
3.	दुर्गश्वरी अगरबत्ती निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1666/09-06-2004

कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई भी उपस्थित हुआ. उपरोक्त संस्थाएं अकार्यशील हैं एवं उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	आजाद इण्डस्ट्रीज सहकारी संस्था, उज्जैन	904/19-03-1995	श्री वी. के. जोशी, उप-अंके.
2.	अनुसूचित जाति ईंट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1101/24-05-1994	श्री वी. के. जोशी, उप-अंके.
3.	दुर्गश्वरी अगरबत्ती निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1666/09-06-2004	श्री वी. के. जोशी, उप-अंके.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(300-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाय:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	प्रताप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1599/17-10-2002
2.	क्षिप्रा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., महिदपुर	114/23-03-1986
3.	गजानंद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	77/30-07-1981
4.	मधुवन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	60/22-09-1978

कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई भी उपस्थित हुआ. उपरोक्त संस्थाएं अकार्यशील हैं एवं उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	प्रताप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1599/17-10-2002	श्री गिरीश शर्मा, व. स. नि.
2.	क्षिप्रा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., महिदपुर	114/23-03-1986	श्री गिरीश शर्मा, व. स. नि.
3.	गजानंद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	77/30-07-1981	श्री गिरीश शर्मा, व. स. नि.
4.	मधुवन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	60/22-09-1978	श्री गिरीश शर्मा, व. स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(300-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., चकरावदा, तह. घटिया	674/25-08-1980
2.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., पिपलिया हाम, तह. घटिया	812/28-10-1983
3.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., हरीगढ़, तह. घटिया	817/20-10-1988
4.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., दौलतपुर, तह. बड़नगर	809/30-09-1988
5.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., दातरवा, तह. बड़नगर	529/16-05-1981
6.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., खरसोद कला, तह. बड़नगर	775/24-03-1988

1	2	3
7.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., केसवाल, तह. तराना	640/27-01-1984
8.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., लसूड़िया, तह. खाचरोद	546/30-06-1981
9.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., खरखड़ी, तह. खाचरोद	816/22-10-1986
10.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बिसनखेड़ी, तह. तराना	830/25-02-1989
11.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., दुरदरसी, तह. घट्टिया	468/25-08-1980
12.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बेरछी, तह. तराना	782/24-03-1988
13.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बड़गांव, तह. महिदपुर	773/28-06-1988
14.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., दुपड़ावदा, तह. खाचरोद	1724/20-05-2009
15.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., चुनाखेड़ी, तह. तराना	1086/04-05-1991
16.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., गागलियाखेड़ी, तह. तराना	1351/07-06-2007

कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई भी उपस्थित हुआ. उपरोक्त संस्थाएं अकार्यशील हैं एवं उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., चकरावदा, तह. घटिया	674/25-08-1980	श्री सुरेन्द मालवीय, स. वि. अधि.
2.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., पिपलिया हाम, तह. घटिया	812/28-10-1983	श्री सुरेन्द मालवीय, स. वि. अधि.
3.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., हरीगढ़, तह. घटिया	817/20-10-1988	श्री सुरेन्द मालवीय, स. वि. अधि.
4.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., दौलतपुर, तह. बड़नगर	809/30-09-1988	श्री एन. एस. कनेल, स. वि. अधि.
5.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., दातरवा, तह. बड़नगर	529/16-05-1981	श्री एन. एस. कनेल, स. वि. अधि.
6.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., खरसोद कला, तह. बड़नगर	775/24-03-1988	श्री एन. एस. कनेल, स. वि. अधि.
7.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., केसवाल, तह. तराना	640/27-01-1984	श्री संतोष सांकलिया, स. वि. अधि.
8.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., लसूड़िया, तह. खाचरोद	546/30-06-1981	श्री आर. एल. परमार, स. वि. अधि.
9.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., खरखड़ी, तह. खाचरोद	816/22-10-1986	श्री आर. एल. परमार, स. वि. अधि.
10.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बिसनखेड़ी, तह. तराना	830/25-02-1989	श्री संतोष सांकलिया, स. वि. अधि.
11.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., दुरदर्शी, तह. घट्टिया	468/25-08-1980	श्री सुरेन्द मालवीय, स. वि. अधि.
12.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बेरछी, तह. तराना	782/24-03-1988	श्री संतोष सांकलिया, स. वि. अधि.
13.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बड़गांव, तह. महिदपुर	773/28-06-1988	श्री संतोष सांकलिया, स. वि. अधि.
14.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., दुपड़ावदा, तह. खाचरोद	1724/20-05-2009	श्री आर. एल. परमार, स. वि. अधि.
15.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., चुनाखेड़ी, तह. तराना	1086/04-05-1991	श्री संतोष सांकलिया, स. वि. अधि.
16.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., गागलियाखेड़ी, तह. तराना	1351/07-06-2007	श्री संतोष सांकलिया, स. वि. अधि.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(300-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	नगर पालिका प्राथमिक उप. भण्डार मर्या., उज्जैन	131/24-07-1975
2.	श्री राम प्राथमिक उप. भण्डार मर्या., नागदा	1039/12-03-1992

कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई भी उपस्थित हुआ. उपरोक्त संस्थाएं अकार्यशील हैं एवं उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	नगर पालिका प्राथमिक उप. भण्डार मर्या., उज्जैन	131/24-07-1975	श्री आर. एल. परमार, स. वि. अधि.
2.	श्री राम प्राथमिक उप. भण्डार मर्या., नागदा	1039/12-03-1992	श्री आर. एल. परमार, स. वि. अधि.

यह आदेश आज दिनांक 03 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(300-D)

उज्जैन, दिनांक 9 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/1524.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., गुणावदा, उज्जैन	1667/23-03-2005
2.	मिलन महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., नागझिरी, उज्जैन	1621/30-12-2003
3.	माँ बगलामुखी महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., पगारा	1633/10-02-2004
4.	माँ सतेश्वरी महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., रतन्याखेड़ी, तह. नागदा	1657/18-0-2005
5.	श्री पदमावती महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., धुमाहेड़ा, तह. नागदा	1626/05-02-2004
6.	मारूति महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., ढाबलाहर्दू	1741/03-03-2010
7.	गिरिजा महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., झाझाखेड़ी (नागदा), तह. खाचरोद	1644/04-03-2004
8.	लालमाता महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., खोकरी (नागदा)	1634/10-02-2004
9.	जय माँ भवानी महिला बहु. प्राथ. उप. भण्डार बरखेड़ा नजीक, तह. नागदा	1682/10-02-2006
10.	हरिजन बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., बड़नगर, जिला उज्जैन	38/07-02-1951
11.	माँ भवानी महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., अमलाबदिया जुनार्दा, तह. नागदा	1670/13-04-2005
12.	माँ शारदा महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., कलसी, तह. नागदा	1659/18-02-2005
13.	माँ भगवती महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., जैथल, तह. घट्टिया	1682/10-02-2006

कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई भी उपस्थित हुआ. उपरोक्त संस्थाएं अकार्यशील हैं एवं उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्थाओं के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., गुणावदा, उज्जैन	1667/23-03-2005	श्री संतोष सांकलिया, सह.निरी.
2.	मिलन महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., नागझिरी, उज्जैन	1621/30-12-2003	श्री संतोष सांकलिया, सह.निरी.
3.	माँ बगलामुखी महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., पगारा	1633/10-02-2004	श्री संतोष सांकलिया, सह.निरी.
4.	माँ सतेश्वरी महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., रतन्याखेड़ी, तह. नागदा.	1657/18-0-2005	श्री संतोष सांकलिया, सह.निरी.
5.	श्री पदमावती महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., धुमाहेड़ा, तह. नागदा.	1626/05-02-2004	श्री संतोष सांकलिया, सह.निरी.
6.	मारूति महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., ढाबलाहर्दू	1741/03-03-2010	श्री संतोष सांकलिया, सह.निरी.
7.	गिरिजा महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., झाझाखेड़ी (नागदा) तह. खाचरोद.	1644/04-03-2004	श्री संतोष सांकलिया, सह.निरी.
8.	लालमाता महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., खोकरी (नागदा)	1634/10-02-2004	श्री संतोष सांकलिया, सह.निरी.
9.	जय माँ भवानी महिला बहु. प्राथ. उप. भण्डार बरखेड़ा नजीक, तह. नागदा.	1682/10-02-2006	श्री संतोष सांकलिया, सह.निरी.
10.	हरिजन बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., बड़नगर, जिला उज्जैन	38/07-02-1951	श्री संतोष सांकलिया, सह.निरी.
11.	माँ भवानी महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., अमलाबदिया जुनार्दा, तह. नागदा.	1670/13-04-2005	श्री समीर हरदास, उप. अंके.
12.	माँ शारदा महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., कलसी, तह. नागदा	1659/18-02-2005	श्री समीर हरदास, उप. अंके.
13.	माँ भगवती महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., जैथल, तह. घट्टिया	1682/10-02-2006.	श्री समीर हरदास, उप. अंके.

यह आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(300-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	कृषि उपज मण्डी कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	701/04-02-1985

उपरोक्त संस्था अकार्यशील है एवं उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के

अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	कृषि उपज मण्डी कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	701/04-02-1985	श्री एन. के. राय, व. स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 19 जुलाई, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(300-F)

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 4029, दिनांक 30 जून, 1967 से नूतन नागरिक सहकारी बैंक मर्या., उज्जैन, पंजीयन क्रमांक 01/07 सितम्बर, 1959 में परिसमापन में लाया जाकर प्रबंधक, खादी ग्रामोद्योग उज्जैन को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. उक्त आदेश में संशोधन कर आदेश क्रमांक/परि./2012/3047, उज्जैन, दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 से संस्था का परिसमापक श्री पुरूषोत्तम सोनी, उप-अंकेक्षक को नियुक्त किया गया था. कार्यालय द्वारा जारी पूर्व के दोनों ही आदेशों में त्रुटिवश संस्था का नाम नूतन नागरिक सहकारी बैंक मर्या., उज्जैन टंकित हो गया था, जबकि उक्त संस्था का नाम नूतन नागरिक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन है.

अत: पूर्व में जारी आदेशों को संशोधित रूप में संस्था का नाम नूतन नागरिक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन पढ़ा जावे :-

पूर्व आदेश में संस्था का नाम	संशोधित आदेश में संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
नूतन नागरिक सहकारी. बैंक मर्या., उज्जैन	नूतन नागरिक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1/07-09-1959

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(300-I)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 09 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू..—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2013/1507, उज्जैन, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के द्वारा मुझे निम्नलिखत सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	छत्रपति शिवाजी साख संस्था मर्या., उज्जैन	1507/05-07-2013	363/26-11-2003
2.	संत अमरदास साख संस्था मर्या., उज्जैन	1507/05-07-2013	1637/19-02-2004
3.	प्रीमियर साख संस्था मर्या., उज्जैन	1507/05-07-2013	605/05-05-1983
4.	नवचेतना सहकारी साख संस्था मर्या., उज्जैन	1507/05-07-2013	955/16-01-1991
5.	आयकर कर्मचारी साख संस्था मर्या., उज्जैन	1507/05-07-2013	1058/06-10-1992

अत: मैं, हेमलता चंदेल, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे, प्रमाण सहित मुझे कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारी संस्थाएं, उज्जैन संभाग उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 09 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

हेमलता चंदेल,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(301)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 09 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू..—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञाप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2013/1507, उज्जैन, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्रमांक	संस्था का नाम	परिसमापक आदेश क्रमांक एवं दिनांक	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	इन्दौर बैंक एम्पलाईज सह. साख संस्था मर्या., उज्जैन	1080/01-05-1993	1507/05-07-2013
2.	सदभावना परस्पर साख सह. संस्था मर्या., उज्जैन	1505/26-04-1999	1507/05-07-2013
3.	गौतम साख सह. संस्था मर्या., उज्जैन	1379/01-04-1995	1507/05-07-2013
4.	क्षिप्रा साख सह. सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1139/13-02-1995	1507/05-07-2013
5.	श्री कायस्थ साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1680/10-11-2005	1507/05-07-2013
6.	सर्व हितकारी साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1380/13-02-1995	1507/05-07-2013

अत: मैं, श्रीमती स्वर्णलता कुशवाह, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे, प्रमाण सहित मुझे कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारी संस्थाएं, उज्जैन संभाग उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 09 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी है.

स्वर्णलता कुशवाह,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(302)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 09 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के

आदेश क्रमांक/परि./2013/1484, उज्जैन, दिनांक 03 जुलाई, 2013 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., केसवाल	640/27-01-1984	1484/03-07-2013
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिसनखेड़ी	830/25-02-1989	1484/03-07-2013
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेरछी	782/24-03-1988	1484/03-07-2013
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़गाँव	773/28-06-1988	1484/03-07-2013
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चुनाखेड़ी	1086/04-05-1991	1484/03-07-2013
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गांगलियाखेड़ी	1351/07-06-2007	1484/03-07-2013

अतः मैं, संतोष सॉकलिया, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे, प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इन समितियों के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी समान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 09 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

संतोष सॉकलिया,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(303)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 22 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञाप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2013/477, उज्जैन, दिनांक 27 फरवरी, 2013, आदेश क्रमांक/परि./2013/519, उज्जैन, दिनांक 01 मार्च, 2013 एवं आदेश क्रमांक/परि./2013/1484, उज्जैन, दिनांक 03 जुलाई, 2013 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक व दिनांक (3)	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक (4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चकरावदा, तह. घट्टिया	674/25-08-1980	1484/03-07-2013
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्याहामा, तह. घट्टिया	812/28-10-1983	1484/03-07-2013
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हरिगढ़, तह. घट्टिया	817/20-10-1988	1484/03-07-2013
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैनिया, तह. घट्टिया	550/30-06-1981	519/01-03-2013
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बमोरी, तह. घट्टिया	736/28-04-1986	519/01-03-2013
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मीण, तह. घट्टिया	734/13-03-1986	519/01-03-2013

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामगढ़, तह. घट्टिया	685/30-11-1984	519/01-03-2013
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कलेसर, तह. घट्टिया	552/30-06-1981	519/01-03-2013
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नजरपुर, तह. घट्टिया	497/30-09-1980	519/01-03-2013
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पंचेड़, तह. घट्टिया	807/28-07-1988	519/01-03-2013
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नलवा, तह. घट्टिया	409/27-11-1976	519/01-03-2013
12.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामगढ़, तह. घट्टिया	566/11-05-1981	477/27-02-2013
13.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घट्टिया, तह. घट्टिया	543/11-05-1981	477/27-02-2013
14.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अम्बोदिया	564/04-06-1982	477/27-02-2013
15.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बॉसखेड़ी	615/22-06-1982	477/27-02-2013
16.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जलवा	571/19-10-1981	477/27-02-2013
17.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिछड़ोद	541/11-06-1981	477/27-02-2013
18.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रूई	703/13-05-1985	477/27-02-2013
19.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पानबिहार	568/11-05-1981	477/27-02-2013

अतः मैं, एस. के. मालवीय, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे, प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इन समितियों के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी समान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 22 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

एस. के. मालवीय,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(304)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 26 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञाप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2012/1612, उज्जैन, दिनांक 19 जुलाई, 2013 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कृषि उपज मण्डी कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	701/04-02-1985	1612/19-07-2013

अतः मैं, एन. के. राय, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे, प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी समान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 26 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

एन. के. राय,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(305)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 24 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन जिला उज्जैन के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र. (1)	नाम संस्था (2)	पंजीयन क्रमांक व दिनांक (3)	परिसमापक नियुक्ति क्रमांक व दिनांक (4)	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक (5)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उपड़ीराव	1518/10-05-2000	519/01-03-2013	519/01-03-2013
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खजुरिया	638/24-01-1984	519/01-03-2013	519/01-03-2013
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लिम्बापिपल्या	875/26-07-1989	519/01-03-2013	519/01-03-2013
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हमीरखेड़ी	876/26-07-1989	519/01-03-2013	519/01-03-2013
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कल्याणपुरा	382/20-08-1976	519/01-03-2013	519/01-03-2013
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सेमल्यानसर	381/20-08-1976	519/01-03-2013	519/01-03-2013
7.	डाकतार उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, उज्जैन	185/13-03-1963	521//01-03-2013	521//01-03-2013
8.	रामगढ़ बीज उत्पादक एवं सहकारिता मर्यादित, रामगढ़	69/05-06-2004	556//08-03-2013	556//08-03-2013
9.	उज्जैयनी बीज उत्पादक एवं सहकारिता मर्यादित, उज्जैन	28/30-11-2002	556//08-03-2013	556//08-03-2013
10.	नवनीत बीज उत्पादक एवं सहकारिता मर्यादित, नरवर	88/31-10-2007	556//08-03-2013	556//08-03-2013
11.	बीड़ी मजदूर कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	1370/17-11-1994	1048/09-05-2013	1048/09-05-2013

अतः मैं, आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों का उपरोक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

आर. एल. नागर,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(306)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 24 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञाप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2013/1507, उज्जैन, दिनांक 05 जुलाई, 2013 एवं आदेश क्रमांक/परि./2013/1524, उज्जैन, दिनांक 09 जुलाई, 2013 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	डॉ. अम्बेडकर साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1402/31-08-1995	1507/05-07-2013
2.	श्री गौड़ साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	363/26-11-1973	1507/05-07-2013
3.	अवंतिका साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	526/16-06-1981	1507/05-07-2013
4.	उज्जवल भविष्य साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1752/08-10-2010	1507/05-07-2013
5.	माँ भवानी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अमलावदिया जुनार्दा, तहसील नागदा.	1670/13-04-2005	1524/09-07-2013
6.	माँ शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कलसी, तहसील नागदा	1659/18-02-2005	1524/09-07-2013
7.	माँ भगवती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जैथल, तहसील घट्टिया	1682/10-02-2006	1524/09-07-2013
8.	अवंतिका बुनकर सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	14/07-10-1997	1524/09-07-2013
9.	आदर्श पावर बुनकर सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	764/25-02-2007	1524/09-07-2013
10.	प्राथमिक दलित उत्थान सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1556/24-04-2001	1524/09-07-2013
11.	वाल्मिकी सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1520/17-07-2002	1524/09-07-2013
12.	गुरूकृपा श्रमिक ठेका सहकारी संस्था मर्या., नागदा	1709/14-09-2007	1524/09-07-2013
13.	चम्बल मॉ श्रमिक ठेका सहकारी संस्था मर्या., नागदा	1733/09-10-2009	1524/09-07-2013
14.	श्री गणेश प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1708/07-09-2007	1524/09-07-2013

अत: मैं, समीर हरदास, उप-अंकेक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे, प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इन समितियों के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी समान अथवा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 24 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

समीर हरदास,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(307)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 18 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन जिला उज्जैन के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आजाद इण्डस्ट्रीज सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	904/19-03-1995	1482/03-07-2013	1482/03-07-2013
2.	अनुसूचित जाति ईंट भट्टा सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	1101/24-05-1994	1482/03-07-2013	1482/03-07-2013
3.	दुर्गेश्वरी अगरबत्ती निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	1666/09-06-2004	1482/03-07-2013	1482/03-07-2013

अत: मैं, व्ही. के. जोशी, उप-अंकेक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों का उपरोक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 18 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

व्ही. के. जोशी,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(308)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 30 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञाप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2012/1484, उज्जैन, दिनांक 03 जुलाई, 2013, एवं आदेश क्रमांक/परि./2012/1485, उज्जैन, दिनांक 03 जुलाई, 2013 के द्वारा मुझे

निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक व दिनांक (3)	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक (4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसूड़िया, तहसील खाचरौद	546/30-06-1981	1484/03-07-2013
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दुपड़ावदा, तहसील खाचरौद	1724/20-05-2009	1484/03-07-2013
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खरखड़ी	816/22-10-1986	1484/03-07-2013
4.	नगरपालिका प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, उज्जैन	191/24-07-1965	1485/03-07-2013
5.	श्री राम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, नागदा	1039/12-03-1992	1485/03-07-2013

अतः मैं, आर. एल. परमार, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे, प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इन समितियों के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी समान अथवा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 30 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

आर. एल. परमार,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(309)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 22 जुलाई, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञाप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2013/1483, उज्जैन, दिनांक 03 जुलाई, 2013 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक व दिनांक (3)	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक (4)
1.	प्रताप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	1599/17-10-2002	1483/03-07-2013
2.	क्षिप्रा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	114/23-03-1986	1483/03-07-2013
3.	गजानन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	77/30-07-1981	1483/03-07-2013
4.	मधुवन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	60/22-09-1978	1483/03-07-2013

अतः मैं, गिरीश शर्मा, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे, प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इन समितियों के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी समान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 22 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

गिरीश शर्मा,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(310)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 08 जनवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/क्यू.-1.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञाप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/2574, उज्जैन, दिनांक 19 नवम्बर, 2013 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गजलक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन	1742/03-03-2010	2574/19-11-2013
2	जिला सहकारी भूमि विकास बैंक कर्मचारी साख समिति मर्यादित, उज्जैन.	AR/UJN/466/80/29-05-1960	2574/19-11-2013

अतः मैं, श्री एम. के. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे, प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इन समितियों के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी समान अथवा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 08 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

एम. के. गुप्ता,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(311)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 15 जनवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2010/2052, उज्जैन, दिनांक 17 सितम्बर, 2010 एवं आदेश क्रमांक/परि./2013/519, उज्जैन, दिनांक 1 मार्च, 2013 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सम्मति साख सहकारिता मर्यादित, बड़नगर	61/17-06-2003	2052/17-09-2010
2.	सत्यम सेवा महिला बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता मर्यादित, पिपलू (तहसील बड़नगर).	30/22-04-2003	2052/17-09-2010
3.	महिला बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता मर्यादित, रावदियापीर (तहसील बड़नगर).	36/22-04-2003	2052/17-09-2010
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बागोदा	694/31-01-1985	519/01-03-2013
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कनासिया	394/11-10-1976	519/01-03-2013
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गुनाखेड़ी	459/12-12-1979	519/01-03-2013

अत: मैं, श्री आर. एस. मेहर, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे, प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इन समितियों के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इन समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी समान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 15 जनवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

आर. एस. मेहर,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(312)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/363, विदिशा, दिनांक 16 मार्च, 2006 से लकी चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, तहसील एवं जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर.एच./669, दिनांक 21 अप्रैल, 1998 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एफ. एस. राय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा लकी चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, तहसील एवं जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लकी चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, तहसील एवं जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर.एच./669, दिनांक 21 अप्रैल, 1998 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(313)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/57, विदिशा, दिनांक 20 जनवरी, 2006 से शिक्षक वर्ग सहकारी संस्था मर्यादित, बासौदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक 14386, दिनांक 25 जुलाई, 1959 को परिसमापन में लाया जाकर श्री ए. के. जैन, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्था, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा शिक्षक वर्ग सहकारी संस्था मर्यादित, बासौदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शिक्षक वर्ग सहकारी संस्था मर्यादित, बासौदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक 14386, दिनांक 25 जुलाई, 1959 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(313-A)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना

सतना, दिनांक 13 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./Q—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्र. 1290,1291,1292, दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गईं संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	किसान क्रय-विक्रय सह. समिति मर्या., डाडीरोला	533/30-06-2010	1290/24-10-2013
2.	ओमशिव महिला प्रा. उप. भण्डार, खजुरीटोला, सतना	287/24-04-1998	1291/24-10-2013
3.	महिला प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., (वार्ड क्र. 4) पूर्व क्षेत्र, सतना	145/30-11-1994	1292/24-10-2013

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

राजेश कुमार श्रीवास्तव,
सहकारी निरीक्षक.

(314)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना

सतना, दिनांक 25 फरवरी, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि.समा./2014/Q—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्र. 1109, दिनांक 05 सितम्बर, 2012 द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गई संस्था का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., बिरसिंहपुर वार्ड क्र. 6	57/20-10-1991	1109/05-09-2012

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/संस्था के पास संस्था का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

गेहचन्द्र पटेल,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(315)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सतना

सतना, दिनांक 1 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/225.—सतना स्टोन एण्ड लाइम कम्पनी कंजूमर स्टोर सहकारी समिति मर्या. साइडिंग सतना, पंजीयन क्रमांक 433, दिनांक 11 नवम्बर, 1963 है, के आदेश क्रमांक 27, दिनांक 05 जनवरी, 2011 से परिसमापन में लाया जाकर श्री लालजी शर्मा, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था, परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की अकार्यशीलता थी.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गयी है. अत: सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुरूप संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें

वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./27, दिनांक 05 जनवरी, 2011 को निरस्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत सतना स्टोन एण्ड लाइम कम्पनी कंजूमर स्टोर सहकारी समिति मर्या. साइडिंग सतना, पंजीयन क्रमांक 433, दिनांक 11 नवम्बर, 1963 को पुनर्जीवित करता हूँ.

साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु 90 दिवस के लिये निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति को नामांकित करता हूँ. :—

1.	श्री बाबूलाल कोल	अध्यक्ष
2.	श्री सुनीता कोल	उपाध्यक्ष
3.	श्री शंकर प्रजापति	सदस्य
4.	श्री भूरा कोल	सदस्य
5.	श्री ललई कोल	सदस्य
6.	श्री रनिया कोल	सदस्य
7.	श्री अमृतलाल साकेत	सदस्य
8.	श्री लक्ष्मण साकेत	सदस्य
9.	श्री राममनोहर कोल	सदस्य
10.	श्री बसंतलाल कोल	सदस्य
11.	श्रीमती शांतिबाई	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 1 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(316)

सतना, दिनांक 11 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/266.—किसान क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., प्रेमनगर सतना, पंजीयन क्रमांक 532, दिनांक 26 अप्रैल, 2006 है, के आदेश क्रमांक 1117, दिनांक 05 सितम्बर, 2012 से परिसमापन में लाया जाकर श्री एन. पी. शर्मा, को परिसमापक नियुक्त किया गया था, परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की अकार्यशीलता थी.

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गयी है. अतः सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुरूप संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./1117, दिनांक 05 सितम्बर, 2012 को निरस्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत किसान क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., प्रेमनगर सतना, पंजीयन क्रमांक 532, दिनांक 26 अप्रैल, 2006 को पुनर्जीवित करता हूँ.

साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु 90 दिवस के लिये निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति को नामांकित करता हूँ. :—

1.	श्रीमती त्रिवेणी यादव	अध्यक्ष
2.	श्री तीरथ प्रसाद नामदेव	उपाध्यक्ष
3.	श्री प्रदीप कुमार	सदस्य
4.	श्री अशोक कुमार	सदस्य
5.	श्री हेतराम सोनी	सदस्य
6.	श्री प्रकाश चंद जैन	सदस्य

7. श्री विनोद तिवारी सदस्य

8. श्रीमती रामकली सदस्य

9. श्रीमती कमला नामदेव सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(316-A)

सतना, दिनांक 11 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/271.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2013/590, दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा संस्था दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करहियाकला, पंजीयन क्रमांक 582, दिनांक 30 सितम्बर, 2010 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री नरेन्द्र सिंह, स. नि. द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करहियाकला, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 582, दिनांक 30 सितम्बर, 2010 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

व्ही. के. पाण्डेय,
उप-रजिस्ट्रार.

(316-B)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

दिनांक 16 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./2014/2—उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला इन्दौर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	अंशुल गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर पता-16, महारानी रोड, इन्दौर.	DR/IDR/613, दिनांक 05/06/1996	2014/1577/11-04-2014
2.	दीप गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., इन्दौर पता-16/2, न्यु पलासिया, इन्दौर.	DR/IDR/630 दिनांक 06/09/1996	2014/1578/11-04-2014

सहकारी अधिनियम, की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं श्रम शिविर, इन्दौर में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगीं तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखा बहु दायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टॉक/संस्थाओं का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्य मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

के. एम. स्वर्णकार,
सहकारी निरीक्षक.

(317)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 14 नवम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./13/979.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, जिला बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/12/1240, दिनांक 04 अक्टूबर, 2012 के द्वारा मुझे निम्नानुसार सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्रमांक (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्र./दिनांक (3)	परिसमापन आदेश क्र./दिनांक (4)
1.	नूर सभा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., आर्यवाड, बैतूल.	1576/06-02-2008	1240/04-10-2012
2.	केदारनाथ बुनकर सहकारी संस्था मर्या., डंगारिया	160/23-07-1990	774/31-08-2013
3.	बालाजी हाथकरघा बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मालेगांव	1487/06-09-2004	774/31-08-2013
4.	सतपुड़ा आवास एवं गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बैतूल.	1039/30-12-1982	773/31-08-2013
5.	पं. भवानी प्रसाद मिश्र पत्रकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बैतूल.	1324/04-08-1994	773/31-08-2013
6.	जय कृषि बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., महदगांव.	1510/26-07-2005	773/31-08-2013
7.	पशु चिकित्सा विभाग साख सहकारी संस्था मर्या., बैतूल	1408/23-09-1999	773/31-08-2013
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोराखार	1564/10-09-2007	773/31-08-2013

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुये मैं, राजेश वडयालकर, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अंतर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अंदर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिये संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्थाओं के कोई भी अभिलेख या संपत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

राजेश वडयालकर,
परिसमापक.

(321)

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला डिण्डौरी

डिण्डौरी, दिनांक 29 मार्च, 2014

क्र./परि./2014/258.—परिसमापनाधीन वंशकार उद्योग सहकारी समिति मर्या., बिजौरा, पंजीयन क्रमांक/144, दिनांक 27 सितम्बर, 1966, विकासखण्ड बजाग, जिला डिण्डौरी को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2012/426, दिनांक 19 नवम्बर, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री जैनुल आबदीन, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया. श्री जैनुल आबदीन, सहकारी निरीक्षक का शहडोल स्थानान्तरण हो जाने के कारण कार्या. आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/182, दिनांक 05 मार्च, 2014 द्वारा श्री एल. आर. परते, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 27 मार्च, 2014 से स्पष्ट होता है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारी/देनदारी शेष नहीं रह गयी है.

अत: मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, डिण्डौरी एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए/क (1) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 मार्च, 2014 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

(322)

डिण्डौरी, दिनांक 29 मार्च, 2014

क्र./परि./2014/259.—परिसमापनाधीन मत्स्य सहकारी समिति मर्या., रूसा, पंजीयन क्रमांक/436, दिनांक 29 मार्च, 1985, विकासखण्ड डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2012/421, दिनांक 19 नवम्बर, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्रीमति ज्योति प्रधान, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है. संस्था के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 29 मार्च, 2014 से स्पष्ट होता है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारी/देनदारी शेष नहीं रह गयी है.

अत: मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, डिण्डौरी एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए/क (1) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 मार्च, 2014 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

(322-A)

डिण्डौरी, दिनांक 29 मार्च, 2014

क्र./परि./2014/260.—परिसमापनाधीन गांधी बुनकर सहकारी समिति मर्या., सरईछांटा, पंजीयन क्रमांक/217, दिनांक 09 जनवरी, 1991, विकासखण्ड डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2012/421, दिनांक 19 नवम्बर, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्रीमति ज्योति प्रधान, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 29 मार्च, 2014 से स्पष्ट होता है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारी/देनदारी शेष नहीं रह गयी है.

अत: मैं, डी. के. त्रिपाठी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, डिण्डौरी एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए/क (1) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 मार्च, 2014 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

डी. के. त्रिपाठी,
सहायक रजिस्ट्रार.

(322-B)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 मई, 2014-वैशाख 19, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 08 जनवरी, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह, पोरसा, जौरा, कैलारस (मुरैना), ग्वालियर, डबरा, भितरवार, घाटीगाँव (ग्वालियर), सेवढ़ा, दतिया, भाण्डेर (दतिया), अशोकनगर, मुँगावली, ईसागढ़, चन्देरी (अशोकनगर), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़, ओरछा, वल्देवगढ़ (टीकमगढ़), अजयगढ़, पन्ना (पन्ना), बण्डा, सागर, रेहली, देवरी, गढ़ाकोटा, केसली, मालथोन (सागर), गोपदवनास, रामपुरनैकिन (सीधी), महिदपुर, उज्जैन (उज्जैन), बासौदा, नटेरन, विदिशा (विदिशा), रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, गोहरगंज, सिलवानी, उदयपुरा (रायसेन) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील मुरैना (मुरैना), पलेरा (टीकमगढ़) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, रीवा, उमरिया, जबलपुर में जुताई व भोपाल में प्याज की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर, रीवा, उमरिया में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला बैतूल में खरीफ फसल गन्ना की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, उमरिया में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 8 जनवरी, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	5.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	4.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	18.0				
4. जौरा	1.0				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	2.0				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	5.1		4. (1) गन्ना, मूँग-मोठ, तुअर, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	11.0		तिली अधिक. उड़द कम.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	5.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. घाटीगांव	9.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	4.0		4. (1) मक्का.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	5.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	2.0				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	6.0		4. (1) सोयाबीन, गेहूँ अधिक. उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	7.0		मक्का, गन्ना, चना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	6.0		(2) . .		
4. चन्देरी	6.0				
5. शाढौरा	. .				
6. नई सराय	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. राघौगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़:	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	14.0		4. (1) गन्ना, तुअर, गेहूँ, जौ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	6.0		मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	15.0		समान.		
4. टीकमगढ़	2.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. बल्देवगढ़	5.0				
6. पलेरा	18.0				
7. ओरछा	2.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) ज्वार, अरहर अधिक. तिल कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	6.0		4. (1) मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	7.0		चना, राई-सरसों, अलसी, मसूर,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		मटर, आलू, प्याज अधिक. धान,		
4. पवई	. .		ज्वार, बाजरा, मूँग, तिल, गेहूँ जौ कम.		
5. शाहनगर	. .		(2) . .		
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		राई-सरसों, अलसी, आलू,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	0.3		प्याज समान.		
4. सागर	2.7		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	2.0				
6. देवरी	0.2				
7. गढ़ाकोटा	8.2				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	1.0				
10. शाहगढ़	. .				
11. मालथोन	16.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) लाख, तिवड़ा, गेहूँ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		राई-सरसों, अलसी, समान.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. अलसी, तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		चना, मसूर, सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .	कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, जौ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		अरहर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .		(2) . .		
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7.रायपुरकर्चुलियान	. .				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) चना, मटर, गेहूँ अधिक. मसूर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		राई-सरसों, अलसी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .	चालू है.	4. (1) चना, मटर, अलसी, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		तुअर अधिक. गेहूँ, जौ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	6.0		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, मटर, मसूर, गेहूँ, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	6.6				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) धान, तुअर, गेहूँ अधिक. जौ कम. ज्वार, मूँग, उड़द, कोदों, राई-सरसों, अलसी, मसूर, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. रायड़ा, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. धुन्धडका	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. संजीत	. .				
9. कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अधिक मसूर, मटर कम.	6. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .				
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	11.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	3.0				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) तुअर,उड़द, मूँग-मोठ, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		कपास, मूँगफली कम.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. भामरा	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. तुअर, चना कम. ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		कपास समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राणापुर	. .		(2) . .		
4. सोण्डवा	. .				
5. कट्टीवाड़ा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) सोयाबीन, कपास, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
***जिला प. निमाड़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वाह	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सनावद	. .		(2) . .		
3. महेश्वर	. .				
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगौन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
8. अंजड	. .				
9. बरला	. .				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) अलसी, राई-सरसों, लाख.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	4.2				
5. नटेरन	6.0				
6. विदिशा	3.0				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. प्याज की रोपाई कार्य चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .	है.	4. (1) गेहूँ, मसूर, चना, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	13.8		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	8.2		सरसों, अलसी, गन्ना सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	13.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
4. गोहरगंज	5.0				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	9.2				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	0.3				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल गन्ना की	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .	कटाई का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) चना, मटर, मसूर, मूँग-मोठ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		गेहूँ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .		(2) . .		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) चना, अलसी, मसूर, गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		राई-सरसों, मटर, जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला नरसिंहपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		अलसी सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) तुअर,राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		अलसी, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) गेहूँ, चना,मटर, मसूर, तिवड़ा समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, तुअर, उड़द, रामतिल, गन्ना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		गेहूँ, चना, मटर,राई-सरसों अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	. .		ज्वार, बाजरा,कोदों-कुटकी, सोयाबीन,		
4. बरघाट	. .		तिल, सन, लाख, तिवड़ा कम.		
5. कुरई	. .		मूँग, मूँगफली, मसूर, अलसी समान.		
6. घंसौर	. .		(2) . .		
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला भिण्ड, शहडोल, प. निमाड़, बड़वानी, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(318)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.